न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 36/2023

वादी

1. खेता सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अमृतपाल सिंह पुत्र जगपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. अमनदीप सिंह पुत्र सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्री करनपुर
3. कुलदीप कौर पत्नी गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. किनो पुत्री जगमेल सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. गगनदीप सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. गुरतेज सिंह पुत्र जगमेल सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. ग्राम पंचायत 36 एच नग्गी।
8. तोरो पुत्री जगमेल सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
9. बलवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
10. भगवान कौर पत्नी जगपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
11. रविन्द्रपाल सिंह पुत्र बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
12. राजविन्द्र कौर पत्नी बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
13. वीरपाल कौर पत्नी पूर्णपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
14. वीरो पुत्री जगमेल सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
15. संदीप कुमार पुत्र नत्थू राम जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
16. सरदूल सिंह पुत्र जगमेल सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
17. सरदूल सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
18. हरबंस कौर पत्नी गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
19. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 17.03.2023

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी
2.श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3

––निर्णय–– दिनांकः 19.07.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 39 एच की जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 7/5 के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है। उक्त भूमि में वादी के नाम 0.507 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान ने काफी समय से आपसी सहमति से उक्त संयुक्त खाता की कृषि भूमि का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

विभाजन कर रखा है। विभाजन के अनुसार वादी को चक 39 एच के खाता संख्या 7/5 के [illegible] मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 2 की 0.253 हैक्टेयर किला नम्बर 3 की 0.192 हैक्टेयर पश्चिमी दिशा में कुल 0.445 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है व [illegible] राजविन्द्र कौर को चक 39 एच के खाता संख्या 7/5 के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर [illegible] की 0.084 हैक्टेयर दक्षिण दिशा में, किला नम्बर 8 में 0.064 हैक्टेयर [illegible] दिशा में, किला नम्बर 9 में 0.084 हैक्टेयर उत्तर दिशा में किला नम्बर 10 में 0.084 हैक्टेयर उत्तर दिशा में कुल 0.316 हैक्टेयर भूमि संयुक्त रूप से प्राप्त हुई है। इस पारिवारिक बंटवारानामा से सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्सा की भूमि पर निरंतर काबिज चले आ रहे है, लेकिन पारिवारिक बंटवारा के अनुसार राजस्व अभिलेख में भूमि नाम दर्ज नहीं होने के कारण, वादी एवं प्रतिवादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। वादी एवं प्रतिवादीगण को अपने हिस्सा की कृषि भूमि, हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रहन आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी अपनी काश्त मुताबिक भूमि अपने नाम घोषित करवाना चाहते है तथा वादी काश्त मुताबिक ही कृषि भूमि का राजस्व लगान अपने-अपने नाम कायम करवाना चाहते है। वादी ने आज से 10 रोज पूर्व समस्त प्रतिवादीगण से मिलकर, पारिवारिक बंटवारा के अनुसार भूमि अपने अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आग्रह किया गया तो उनके द्वारा घरेलू व्यस्तता होने के कारण असमर्थता जाहिर कर, ऐसा करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प वादीगण के पास शेष नही रहा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह बडिंग उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। सामिल मिसल किया गया। काउन्टर क्लेम में प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा निवेदन किया गया कि चक 39 एच के खाता संख्या 7/5 के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 4 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 की 0.083 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.083 हैक्टेयर, किला नम्बर 3 की 0.064 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.023 हैक्टेयर भूमि कुल 0.759 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से प्रतिवादी संख्या 3 के नाम कायम किए जाने के आदेश दिए जावे। वादी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 18 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। अधिवक्तागण ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे। लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादी का वादपत्र व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

प्रतिवादी संख्या 3 का काउन्टर क्लेम प्राथमिक डिक्री किया जाकर वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि चक 39 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ...नगी, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 7/5 के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि में वादी खेता सिंह के हिस्सा में 0.507 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 कुलदीप कौर के हिस्सा में 0.759 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादी एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 19.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ✦ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

खेता सिंह बनाम अमृतपाल सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **53, 88, 91, 92** आरटीए मुकदमा नम्बर **36/2023**

निर्णय दिनांक :- 19.07.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह** के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 39 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 7/5 के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि में वादी खेता सिंह के हिस्सा में 0.507 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 कुलदीप कौर के हिस्सा में 0.759 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादी एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 19.07.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**04**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांक 19.07.2023

क्रमांक: रीडर/ 2023/ 401
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ✦ श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)